**बिहार सरकार**
**विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग**

पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 32/ 2013– /पटना, दिनांक

सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं हक0),बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय– विभागान्तर्गत नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13 के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृत राशि से आपूर्ति की गई सामग्रियों के लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु रू॰ 7,17,706=00 (सात लाख सत्रह हजार सात सौ छः रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

**आदेश– स्वीकृत।**

राज्य सरकार ने वित्त विभाग के पत्रांक–3429, दिनांक 01.04.2015 में अंकित प्रावधानानुसार प्राचार्य, नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13 के पत्रांक–459, दिनांक 18.06.2015 के आलोक में संस्थान के कम्प्यूटर, हार्डवेयर एवं कैड/कैम प्रयोगशाला के लिए आवश्यकता आधारित कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं उपकरण के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृत राशि से आपूर्ति की गई सामग्रियों के लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु रू॰ 7,17,706=00 (सात लाख सत्रह हजार सात सौ छः रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2015–16 के आयोजना व्यय आय–व्ययक के "मुख्यशीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104–बहुशिल्प, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0102–पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय" के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर विषयशीर्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड– P 4202021040102 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, पटना से की जायेगी।

5. उक्त राशि से वित्तीय वर्ष 2014–15 में क्रय एवं आपूर्ति किये गए सामग्रियों के लंबित विपत्रों का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में वित्तीय नियमों के अनुपालन की जिम्मेवारी प्राचार्य की होगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –
(ओम प्रकाश राय)
सरकार के अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 32/ 2013– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 32/ 2013– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 32/ 2013– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 32/ 2013– 2795 /पटना, दिनांक– 30-11-015

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/प्रशाखा पदाधिकारी– 3/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/11/15

27/11/15
सरकार के अपर सचिव